

उ मेल त्काल

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क./शि.क./ए/विदिशा/अंत निका.संवि./2018/1137 भोपाल, दिनांक 03.07.18
प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला ग्वालियर, म.प्र.।


विषय :- अंतर्निकाय संविलियन आदेश उपरांत कार्यमुक्ति एवं उपस्थिति चाहने बाबत ।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वरिष्ठ अध्यापक 1-श्रीमती दीप्ति शर्मा,
2- श्रीमती स्नेहा यादव, 3- ममता शर्मा को संचालनालय के आदेश क/शि.क.
/67 (3)सी/अध्या.संवि/2018/1245, दिनांक 16.03.2018 के द्वारा अंतर्निकाय
संविलियन की अनुमति दी गई थी ।

अंतर्निकाय संविलियन अंतर्गत आवंटित शाला परिसीमन होने से नगरीय
निकाय में आ गई है । अतः आप ग्रामीण निकाय की उन शालाओं में जहाँ उपरोक्त
अध्यापको के विषय से संबंधित पद रिक्त हो ,उन रिक्त पदों में से सर्वसंबंधितों से
किसी एक रिक्त पद पर पदांकन करने की सहमति प्राप्त कर संचालनालय को
अवगत करावे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


(एस.एस.एच रिजर्वी)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
